# बिहार सरकार
# कृषि विभाग

## अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1/ए0जी0(प्रो0)–01/2015...........................वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0–4685 वि0(2) दिनांक–25.06.2003 संकल्प सं0–7566 दिनांक–14.07.2010, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–929 दिनांक–30.03.2011 तथा अन्य संगत परिपत्रों के आलोक में बिहार कृषि सेवा कोटि–02 (कृषि अभियंत्रण) के निम्नांकित पदाधिकारियों को ''रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अंकित तिथि से द्वितीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| क्र0 सं0 | वरीयता क्रमांक (2016) | पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम | सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि | देय एम0ए0सी0पी0 (नियुक्ति की तिथि से 20 वर्षों की नियमित सेवा के पुरा करने की तिथि से) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | द्वितीय एम0ए0सी0पी0 | अनुमान्यता की तिथि | पे बैन्ड/ ग्रेड पे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8/16 | श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह उप निदेशक(कृ0अभि0), भूमि सरंक्षण, बांका। | 05.02.1991 | द्वितीय एम०ए०सी०पी० | 05.02.2011 | PB-3 Grade Pay 7600 |
| 2 | 11/16 | श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह सहायक निदेशक (कृ0 अभि0) कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, पूर्णियाँ। | 24.01.1991 | द्वितीय एम०ए०सी०पी० | 24.01.2011 | PB-3 Grade Pay 7600 |
| 3 | 12/16 | श्री शशि शेखर मंडल उप निदेशक (कृ0अभि0), भूमि सरंक्षण, मुंगेर। | 30.11.1994 | द्वितीय एम०ए०सी०पी० | 30.11.2014 | PB-3 Grade Pay 7600 |

1. एम0ए0सी0पी0 योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किये जाने पर पदनाम वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में काई परिवर्तन नहीं होगा।

2. एम0ए0सी0पी0 योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण पदाधिकारी विशेष के लिये पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय पदाधिकारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस ग्रेड वेतन में कनीय पदाधिकारी ने एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत उच्चतर ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. द्वितीय एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत वेतन नियतीकरण/निर्धारण संगत अधिसूचना/ संकल्प/परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4. भविष्य में संबंधित पदाधिकारियों के संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय संसूचित किये जाते हैं तो वैसी स्थिति में यह वित्तीय उन्नयन तद्नुसार प्रभावित होंगे और वित्तीय उन्नयन को संशोधित किया जा सकेगा।

5. यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जाएगी तो फलस्वरूप अधिक/कम भुगतान की गयी राशि को तदनुरूप वसूली/सामंजन कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(दिनेश कुमार)

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।